

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
CHANDIGARH REGIONAL OFFICE



पंजीकरण प्रमाण पत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमा राशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)
(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या **B-06.00268**
No.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **सिरसा डिपॉजिट्स एंड अडवान्सज़ लिमिटेड, नवाँशहर** को

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमा राशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

Sirsa Deposits & Advances Limited, Navanshahar

is hereby granted

Certificate of Registration


to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

दिनांक 9 जून 2003 के प्रमाण पत्र सं A-06.00268 के बदले में मेरे हस्ताक्षर के अधीन चंडीगढ़ में वर्ष दो हजार पांच मार्च की उन्नीस तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at **Chandigarh**

On this **Nineteen** day of **March** Two Thousand **Five**
in lieu of earlier Certificate number **A-06.00268** dated **9 June 2003**




(महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक)

General Manager / Deputy General Manager